Ref No- 422/G/OA-342/संजय सिं./AE/2022. dt- 27-6-22.

To,

The Registrar,
National Green Tribunal
Principal Bench, New Delhi

Subject :-Action taken report in compliance of order dated 17-05-2022 in OA No. 342/2022 Sanjay Singh & Ors Vs state of UP .

Respected Sir,

In the above noted case, Hon'ble Tribunal has given direction as below :-

1. In view of the grievance made in the letter petition, we are of the view that the factual position needs to be verified and remedial action is required to be taken on the basis thereof. We accordingly constitute Joint Committee of State PCB, DFO, Meerut, the Commissioner Municipal Corporation, Meerut and District Magistrate, Meerut and direct the same to verify the factual position, look into the grievances of the applicant and take remedial action in accordance with law by following due process within two month from the date of receipt of a copy of this order. The District Magistrate, Meerut will be the nodal agency for co-ordination and compliance.
2. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF, before the Ld. Registrar General, National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi who may, if necessary, put up the matter before the Bench for further directions.

The application is disposed of with the above said directions

In the compliance of above directions an inspection of the site mentioned in the order of Hon'ble Tribunal, was carried out by a joint inspection team comprising of the officials from the offices of District Magistrate, Meerut, DFO,Meerut,Commissioner Municipal Corporation,Meerut and UP Pollution Control Board, Meerut inspected the Site mentioned in the order on dated 02/06/2022. A detailed report has submitted by the Commissioner of Municipal corporation,Meerut along with essential Annexures

. Accordingly a factual and action taken report is being submitted along with the present letter for kind perusal and further action in this regard.

Your faithfully,

27/6/2022

(Regional Officer)
Meerut

C.C :-

1. Member Secretary, UP Pollution Control Board,Lucknow.
2. District Magistrate Meerut.

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।

पंत्रांक: 919 /पी0ए0–न0आ0/2022 दिनांक: 18 जून, 2022

प्रेषक,

नगर आयुक्त
नगर निगम, मेरठ।

सेवा मे,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मेरठ।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0–342/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.05.2022 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, मेरठ के पत्र संख्या–278/G/OA-342/Dumping Yard/2022, दिनांक 28.05.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0–342/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.05.2022 के अनुपाल में ज्वाइंट कमेटी से स्थलीय निरीक्षण कराकर निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है उपरोक्त पत्र के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में ज्वाइंट कमेटी की निरीक्षण आख्या उक्त सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(डा0 अमित पाल शर्मा)
नगर आयुक्त
नगर निगम, मेरठ।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।
2. उपजिलाधिकारी, मेरठ।

नगर आयुक्त
नगर निगम, मेरठ।

निरीक्षण आख्या

विषय :— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 न0—342/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.05.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय के पत्र सं0—278/G/OA-342/Dumping yard /2022 दिनांक 28.05.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का काष्ट करें। जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 न0—342/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.05.2022 के मुख्य अंश निम्नवत् है :—

1. The grievance made in the present letter petition sent by Mr. Sanjay Singh and others residents of L Block , Shastri Nagar , Jamuna Nagar , Hapur Road , Meerut is against illegal construction of dumping yard by Municipal Corporation Meerut in the green belt located at LBlock , Shastri Nagar , Hapur Road, Meerut against norms prohibiting such permanent construction by cutting green trees with JCB Machine without permission from the forest department . Construction of the same will adversely affect the health of local residents and damage to the environment .
2. In view of the grievance made in the letter petition , we are of the view that the factual position needs to be verified and remedial action is required to be taken on the basis thereof . We accordingly constitute Joint Committee of State PCB , DFO , Meerut , the Commissioner Municipal Corporation , Meerut and District Magistrate , Meerut and direct the same to verify the factual position , look into the grievances of the applicant and take remedial action in accordance with law by following due process within two month from the date of receipt of a copy of this order . The District Magistrate , Meerut will be the nodal agency for co - ordination and compliance .
3. Factual and action taken report may be furnished within two months by e - mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF / OCR Support PDF and not in the form of Image PDF , before the Ld . Registrar General , National Green Tribunal , Principal Bench, New Delhi who may, if necessary, put up the matter before the Bench for further directions. The application is disposed of with the above said directions .

मा0 राष्टीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय द्वारा ज्वाइंट कमेटी हेतु उप जिलाधिकारी, मेरठ, प्राभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ को नामित करते हुए स्थलीय निरीक्षण हेतु कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड मेरठ से समन्वय स्थापित करते हुए ससमय अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दाखिल करने हेतु निर्देश किया गया है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में समिति द्वारा दिनांक 02.06.2022 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एल–ब्लॉक के सामने पी0ए0सी0 की दीवार के बराबर में आधुनिक ढलावघर का निर्माण कार्य 15वें वित्त आयोग की बैठक दिनांक 22.09.2021 (Annex-1) में प्रदृत्त स्वीकृति के अनुपालन में तथा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कराया गया है। उक्त स्थल वार्ड के रोड स्वीपिंग वेस्ट के कलैक्शन प्वाईन्ट के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा तथा प्रतिदिन नगर निगम के डम्पिंग ग्राउण्ड में पहुँचाया जायेगा। नगर निगम मेरठ द्वारा घरों से डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण का कार्य पूर्व में ही आउटसोर्सिंग फर्म बी0वी0जी0 इण्डिया को दिया गया है। जिससे घरों का कूड़ा ढलावघर में नहीं जायेगा।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि स्थल पर पूर्व से ही स्थानीय व्यक्ति श्री राजेन्द्र द्वारा होटल बनाकर व गाड़ी गैराज/कबाड़ तथा आशु पुत्र श्री इलियास द्वारा डेरी बनाकर अवैध कब्जा किया गया था। अवैध कब्जेदारों के विरूद्ध नगर निगम, मेरठ के लेखपाल श्री कुंवरपाल सिंह द्वारा थाना मेडिकल मेरठ में प्राथमिकी अपराध सं0–0582 दिनांक 03.09.2017 को पंजीकृत करायी गयी थी (Annexure-2), प्रश्नगत् भूमि पर पूर्व से उपरोक्त व्यक्तियों का अवैध कब्जा था, जिसे हटवाकर जनहित में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत आधुनिक ढलावघर का कुल 150 वर्ग मीटर में निर्माण कराया गया है। उक्त आधुनिक ढलावघर के निर्माण के समय अथवा उससे पूर्व में अवैध अतिक्रमण के कारण स्थल पर कोई पेड़ नहीं था। उक्त स्थल पर आधुनिक ढलावघर के निर्माण के दौरान कोई भी पेड़ नहीं काटा गया है। स्थल की Google Capture Image वर्ष 2017 व 2022 संलग्न है। (Annex-3)

यह भी उल्लेखनीय है कि एल–ब्लॉक तिराहे से प्रश्नगत् स्थल तक सम्पूर्ण ग्रीन बैल्ट जिसकी लम्बाई 650 मीटर है को 15वें वित्त आयोग की मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 02.06.2021 में प्रदृत्त स्वीकृति के (Annex-4) अनुसार धनराशि रू0 94,58,622/– में विकसित किया जा रहा है। स्थल पर कार्य प्रगति पर है।

09.06.2022

सहायक नगर आयुक्त नगर निगम, मेरठ।	उप जिलाधिकारी, मेरठ।	सहा0 पर्या0 अभि0 उ0प्र0प्र0नि0 बो0 मेरठ	प्राभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।

09/06

Annexure-1

15वें वित्त आयोग की मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 22.09.2021 का कार्यवृत्त

मा० महापौर, नगर निगम, मेरठ/अध्यक्षा, केन्द्रीय वित्त आयोग महोदया की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार में दिनांक 22.09.2021 को दोपहर 12.00 बजे बैठक आहूत की गई। बैठक में मा० मण्डलीय समिति के सदस्यों के अतिरिक्त नगर निगम, मेरठ के निम्न अधिकारीगण भी उपस्थित रहे:-

उपस्थिति :-

1. मा० महापौर, नगर निगम, मेरठ/अध्यक्षा
2. जिलाधिकारी, मेरठ/सदस्य
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ/सचिव
4. अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण (प्रतिनिधि उपाध्यक्ष/सदस्य)
5. सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ (प्रतिनिधि अधीक्षण अभियन्ता/सदस्य)
6. अधिशासी अभियन्ता, यान्त्रिकी, उ० प्र० जल निगम, मेरठ।
7. परियोजना प्रबन्धक, सी० एण्ड डी० एस० (ई एण्ड एम), नोएडा
8. मुख्य अभियन्ता (नि०), नगर निगम, मेरठ।
9. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, नगर निगम, मेरठ।
10. महाप्रबन्धक (जल), नगर निगम, मेरठ।
11. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, मेरठ।
12. सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
13. अधिशासी अभियन्ता (नि०), नगर निगम, मेरठ।

उपरोक्त अधिकारियों की उपस्थिति में सचिव/नगर आयुक्त द्वारा मा० महापौर की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए नगर आयुक्त/सचिव मा० समिति द्वारा इस बैठक के विभिन्न प्रस्तावों हेतु नगर आयुक्त/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, नगर निगम, मेरठ द्वारा प्रस्तुत आख्या के अनुसार 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध अवशेष/ब्याज के सम्बन्ध में विवरण/आख्या निम्नवत् प्रस्तुत किया गया :-

मा० समिति को अवगत कराना है कि दिनांक 02.06.2021 को सम्पन्न हुई केन्द्रीय वित्त आयोग की मण्डलीय बैठक तथा दिनांक 04.02.2021 की परिचालन से पारित प्रस्ताव में नगर निगम द्वारा वायु गुणवत्ता सुधार हेतु अंकन 46.00 करोड़ रूपये तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु अंकन 31.15 करोड़ रूपये के विभिन्न प्रस्ताव पारित कराये गये थे, जिसके क्रम में टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करायी जा रही है तथा अनेक कार्य प्रगति पर हैं। वायु गुणवत्ता सुधार के अन्तर्गत सिविल कार्यों हेतु विभिन्न कार्यों के टेण्डर के उपरान्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष लगभग रूपये 5.00 करोड़ रूपये की बचत हुई है। अतः प्रस्तावित बैठक हेतु निम्न विवरण के अनुसार धनराशि अवशेष है :-

क्र० सं०	मद का नाम	दिनांक 02.06.2021 के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त शेष धनराशि (करोड़ में)	टेण्डर के कारण बचत की धनराशि (करोड़ में)	स्वीकृति हेतु शेष कुल धनराशि (करोड़ में)
1	वायु गुणवत्ता सुधार	25.99	5.00	30.99
2	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	40.84	0.00	40.84

Annex-1

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा/ईकाई/प्रतिमाह/ प्रति माह व्यय (लाख मे)	15वे वित्त आयोग से प्रस्तावित धनराशि (लाख मे)	कार्यदायी संस्था	औचित्य
2	हापुड रोड स्थित जैदी फार्म से कौमी एकता मार्ग पर 1500 एम०एम० डाया की सीवर लाईन पर मैन हॉल बनाने का कार्य	28.33 लाख	28.33	परियोजना प्रबन्धक नागर कार्य ईकाई (द्वितीय) मेरठ	वर्षा ऋतु मे जैदी फार्म तथा कौमी एकता मार्ग की चोक सीवर लाईन को शीघ्र खोलने हेतु तथा वर्षाऋतु मे जलभराव की समस्या के समाधान हेतु
3	माननीय एन०जी०टी० के आदेशो के क्रम मे आबू नाला द्वितीय तथा ओडियन नाले पर बॉयोरेमिडिऐशन सिस्टम/प्लान्ट की स्थापना का कार्य।	200.00 लाख	200.00	नगर निगम मेरठ जलकल विभाग	गंगा की सहायक नदी, काली नदी मे गिरने वाले नालो के पानी का बॉयोरिमिडिएशन ट्रीटमेन्ट द्वारा पानी की गुणवत्ता एंव एटर क्वालिटी मे सुधार
		धनराशि	970.02		

मा0 समिति द्वारा सर्वसम्मिति से प्रस्ताव संख्या 1 (ख) के द्वारा प्रस्तावित कुल 03 कार्यों के लिए यथावत प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या 1 (ग) :–

निदेशक नगरीय निकाय के पत्र संख्या 8/1260/421/अमृत निकाय अंश दिनांक 26.05.2021 (संलग्नक–1) के क्रम में मा0 समिति को अवगत कराना है कि नगर निगम, मेरठ में अमृत योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का निकाय अंश वर्तमान में लगभग 35.35 करोड़ बकाया है जिसके लिए अमृत निदेशालय से निरन्तर अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये जा रहे हैं। चूंकि शासनादेश संख्या 808/नौ–9–21–26–ज/21 दिनांक 24.03.201 (संलग्नक–2) के अनुसार अमृत योजना के निकाय अंश की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि से की जा सकती है।

अतः बकाया निकाय अंश के सापेक्ष अंकन रूपये 12 करोड़ अमृत निदेशालय के खाते में अन्तरण के माध्यम से प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

मा0 समिति द्वारा सर्वसम्मिति से उक्त प्रस्ताव हेतु यथावत प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या 2 :– ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु स्वास्थ्य विभाग/एस0बी0एम0 सेल/वाहन डिपो द्वारा प्रस्तावित कार्य

प्रस्ताव संख्या 2 (क) :–

क0 सं0	कार्य का विवरण	प्रति ईकाई व्यय (लाख मे)	15वें वित्त आयोग से प्रस्तावित धनराशि (लाख मे)	औचित्य
1	नगर के 20 महत्वपूर्ण खत्तो की बाउन्ड्री व फ्लोर का निर्माण तथा थ्यू कटर की व्यवस्था हेतु कार्य।	15.00	300.00	नगर को स्वच्छ सर्वेक्षण वर्ष 2021– 2022 तक कूड़ा मुक्त शहर के अन्तर्गत एक स्टार पाना अनिवार्य है जिसके लिए सड़क के किनारे स्थित खत्तों को विलोपित करने के लिए निर्धारित स्थलों पर विस्थापित करते हुए उन खत्तों को बाउन्ड्रीयुक्त करना तथा सीमेंट फ्लोर के साथ–साथ थ्यू कटर का भी निर्माण आवश्यक है।
2	नगर के 25 सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों एवं 50 यूरिनल्स के रख–रखाव व संचालन हेतु आउटसोर्स पर व्यय एक वर्ष हेतु	3.00	75.00	मा0 समिति को अवगत कराना है कि नगर निगम, मेरठ को ओ0डी0एफ++ घोषित किया जा चुका है जिसे निरन्तर बनाये रखने के लिए पूर्व के बने सी0टी0 पी0टी0 (जिनका निर्माण संचालन सहित नहीं हुआ है) को बेहतर ढंग से वर्षभर संचालित किया जाये जिसके लिए आउटसोर्स के माध्यम से सेवाएं लिया जाना

Sunita Verma

Annex-1

15TH CFC/NNM

		सार संक्षेप ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन/जल प्रबन्धन/सैनिटेशन	लाख में
1	1(क)	जल प्रबन्धन/जलापूर्ति का कार्य	1322.37
2	1(ख)	जल प्रबन्धन/सीवर का कार्य	970.02
3	1(ग)	अमृत योजना के लिए निकाय अंश	1200.00
4	2(क)	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु स्वास्थ्य विभाग/एस0वी0एम0 सेल/वाहन डिपो द्वारा प्रस्तावित कार्य	546.40
5	2(ख)	गॉवड़ी डम्पिंग ग्राउण्ड में ताजे कूड़े के निस्तारण हेतु वांछित शेड व मशीनरी हेतु	300.00
6	2(ग)	स्वच्छ सर्वेक्षण हेतु शहर के ठिगाइडरो, खत्तों तथा टॉयलेट के लिए अनुरक्षण मद	0.50
7	3	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए गाड़ियो/उपकरणों का क्रय	508.00
		योग	4847.29

मा0 समिति द्वारा इस मद के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार कुल प्रस्तावों हेतु उपलब्ध धनराशि अंकन 4084 लाख के सापेक्ष रूपये 4847 लाख का प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि अतिरिक्त धनराशि का समायोजन टेण्डर के उपरान्त हुई बचत तथा आगामी किश्त से करने के उपरान्त ही उपलब्ध शेष धनराशि के लिए अगला प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

22/9/21

22.9.21

22/09/21

नगर आयुक्त/सचिव
नगर निगम, मेरठ।

उपाध्यक्ष/सदस्य (प्रतिनिधि)
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

(प्रतिनिधि)
अधीक्षण अभियन्ता/सदस्य
लोक निर्माण विभाग, मेरठ।

Sunita Verma
महापौर/अध्यक्ष
नगर निगम, मेरठ।

जिलाधिकारी/सदस्य,
मेरठ।

PWD हेतु - संयुक्त निरीक्षण हेतु प्रस्तावित सड़कों का निरीक्षण एक सप्ताह के अन्दर पूरा कर संशोधित का estimate तदनुसार किया जाना हो निविदा आमंत्रित शेष सहमत।
D.M

निर्देशित किया जाता है कि निर्माण व अन्य कार्यों से सम्बन्धित प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु अधिकतम [illegible] जाए तथा प्रस्ताव सं. 4 के कार्यों तथा आकलन की जाँच PWD तथा न. निगम के संयुक्त टीम से कराई जाय, उसके उपरान्त रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद कार्य कराया जायेगा। शेष प्रस्ताव यथावत् स्वीकृत किया जाता है।

Sunita Verma
महापौर
नगर निगम, मेरठ

Annex- 2

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1. District (जिला): मेरठ P.S. (थाना): मेडिकल कॉलेज Year 2017
Case Crime Number(प्रकरण अपराध संख्या): 0582 Date (दिनांक): 03/09/2017

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	447

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day (दिन): गुरूवार
      Date From (दिनांक से): 17/08/2017
      Date To (दिनांक तक): 17/08/2017
      Time Period (समय अवधि): पहर 1
      Time From (समय से): 00:00 बजे
      Time To (समय तक): 00:00 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
      Date (दिनांक): 03/09/2017
      Time (समय): 19:40 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
      Entry No. (प्रविष्टि सं.): 047
      Time (समय): 19:40 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1.(a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 4 किमी
   Beat No. (बीट सं.):
   (b) Address (पता): हापुड रोड पर एल ब्लाक तिराहे , से बिजली बम्बा चोकी की तरफमेरठ
   (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
   Name of P.S.(थाना का नाम): मेडिकल कॉलेज
   District(State) (ज़िला (राज्य)): मेरठ(उत्तर प्रदेश)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
   (a) Name (नाम): कुबरपाल सिंह
   (b) Father's/Husband's Name(पिता/पति का नाम) :
   (c) Date of Birth/Age (जन्म तिथि/आयु): 0
   (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
   (e) UID No. (यूआईडी
   (f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):
   Date of Issue (जारी करने की

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Occupation (व्यवसाय):

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	सम्पति विभाग नगर निगम मेरठ,मेरठ,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	सम्पति विभाग नगर निगम मेरठ,मेरठ,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Phone number (दूरभाष)   Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S.No.(क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Mobile No. मोबाइल नं०	Address (पता)
1	राजेन्द्र				,भारत
2	आशु		पिता: इल्यास		,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	SubType (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुंल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी... सेवा में थानाध्यक्ष मैडिकल मेरठ थाना विषय हापुड रोड एल ब्लाक तिराहे से बिजली बम्बा चौकी तक सडक/ग्रीन बैल्ट पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में महोदय उपरोक्त विपयक अवगत कराना है कि मा0 आयुक्त महोदय मेरठ मण्डल मेरठ के निर्देशानुसार दिनांक 17.08.2017 में हापुड रोड पर एल ब्लाक तिराहे से बिजली बम्बा चौकी तक सडक के दोनो ओर सडक पटरी एवं ग्रीन बैल्ट से नगर निगम मेरठ द्वारा अतिक्रमण हटवाया गया है किन्तु ग्रीन बैल्ट/सडक पटरी पर राजेन्द्र पुत्र अज्ञात द्वारा होटल बनाकर व गाडी मेकर का कार्य करके एवं आशु पुत्र इल्यास द्वारा डेयरी बनाकर ग्रीन

वैल्ट पर अवैध कब्जा किया हुआ है जिसको नही हटाया गया हैं तथा सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई गई है अत आपसे अनुरोध है कि उक्त सरकारी/ सार्वजनिक भूमि को क्षति पहुंचाने के लिए अवैध कब्जा करने के सम्बन्ध में उपर्युक्त दोषी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का कष्ट करे दिनांक 01.09.2017 ह0 अंग्रेजी अपठित कुंवरपाल सिंह 1.917 सम्पत्ति विभाग नगर निगम मेरठ.. नोट FIR का खुलासा रो0आम मे मुझ का0 518 सुजीत द्वारा किया गया तथा तहरीर की नकल कम्प्यूटर पर क0आ0 मुकेश कुमार द्वारा किता की गयी

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence (s) u/s as mentioned at Item No. 2.(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया) : or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):SURESH KUMAR

Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub- No.(सं.): 802330451

to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.
(आर. ओ .ए .सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): SHO THANA MEDICAL

Rank(पद): SI (Sub-Inspector)

No.(सं.): 9454403988

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Annex-2

कार्यालय नगर निगम, मेरठ।

पत्रांक : 2596/सम्पत्ति/न0 नि0 मे0/17 दिनांक : 1-9-2017

सेवा में,

थानाध्यक्ष, मेडिकल (मेरठ)
थाना [illegible]
[illegible]

विषय : हापुड रोड एल ब्लॉक तिराहे से विजली वम्बा चौकी तक सडक/ग्रीन वैल्ट पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री कुंवरपाल सम्पत्ति विभाग, नगर निगम, मेरठ की तहरीर दिनांक 01.09.2017 जो हापुड रोड पर एल ब्लॉक तिराहे से बिजली बम्बा की तरफ ग्रीन वैल्ट/सड़क पटरी पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में है, को संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करे।

भवदीय

01/9/17

प्रभारी सम्पत्ति
नगर निगम, मेरठ

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक (नगर), महोदय, मेरठ को इस आशय से कि अपने स्तर से भी सम्बन्धितं को निर्देशित करने का कष्ट करें।

प्रभारी सम्पत्ति
नगर निगम, मेरठ

श्रीमान जी
निवेदन है कि मेरठ के हापुड़ रोड
पर एल ब्लॉक तिराहे के करीब
राजेन्द्र पुत्र अज्ञात का होटल
व आशु पुत्र इलियास की डेरी
मेडीकल थाना क्षेत्र में पड़ता
है अतः श्रीमान जी से अनुरोध है
कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में
मेडीकल थाना से कार्यवाही कराने
की कृपा करें

01/9/17

01/9/17
इन्द्रपाल सिंह
चौकी प्रभारी
मेडि0 नगर [illegible]

Annex-2

कायालय नगर निगम, मेरठ।

पत्रांकः–4709

दिनांकः 11/8/17

प्रभारी अतिक्रमण
नगर निगम, मेरठ।

कृपया अवगत कराना है कि मण्डलायुक्त द्वारा दिनांक 22.07.2017 की आयोजित बैठक में नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी 5 ग्रीन बैल्टो की सूची जो साथ में संलग्न है से अतिक्रमण हटाकर वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिये गये है। जिसके अन्तर्गत हापुड ग्रीन बैल्ट में मुख्य अभियन्ता निर्माण व श्री राजेश सिंह सम्पत्ति अधिकारी के नेतृत्व में एल0ब्लाक तिराहे से यशवन्त सिंह विधायक के मकान तक अतिक्रमण हटाया गया जहॉ उद्यान विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य करा दिया गया है।

अतः हापुड रोड़ ग्रीन बैल्ट में शेष स्थान पर बचे अतिक्रमण व संलग्न सूची के अनुसार चिन्हित अन्य ग्रीन बैल्टो से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें। ताकि वृक्षारोपण का कार्य कराया जा सकें।

प्रभारी उद्यान
नगर निगम, मेरठ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. नगर आयुक्त महोदय
2. मुख्य अभियन्ता

प्रभारी उद्यान
नगर निगम, मेरठ।

प्रभारी अतिक्रमण

11/9/2017

Annex-2

...2500 /सम्पत्ति /न०नि०मे०/17

सेवा में,

दिनांक: 5/8/2017

थानाध्यक्ष/चौकी इंचार्ज
बिजली बम्बा हापुड़ रोड,
थाना खरखौदा।

महोदय,

अवगत कराना है, कि हापुड़ रोड पर मा० सांसद श्री यशवंत सिंह जी के निवास के निकट ग्रीन बैल्ट पर राजेन्द्र व आशु पुत्र इल्यास नामक व्यक्तियों द्वारा झोपड़ी डालकर तथा बस बाडी मेकर का कार्य करके ग्रीन बैल्ट पर अवैध कब्जा किया हुआ है। जिसको मा० आयुक्त महोदय मे० मण्डल मेरठ द्वारा हटवाने हेतु निर्देशित किया गया है

अत: अपने स्तर से ग्रीन बैल्ट की भूमि पर उपरोक्त अवैध कब्जे को हटवाने एवं दोषियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

[signature] 5/8/17

प्रभारी सम्पत्ति
नगर निगम, मेरठ

5/8/2017

प्रतिलिपि:- अपर नगर आयुक्त महो० की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक नगर मे० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[signature] 5/8/17

प्रभारी सम्पत्ति
नगर निगम, मेरठ

[signature] 05/8/17

[stamp] 5/8/17

Annex-3

JUNE 2022

Annex-3

APRIL 2017

Annex-4

15वें/14वें वित्त आयोग की मण्डलीय समिति की बैठक

दिनांक 02.06.2021 का कार्यवृत्त

मा0 महापौर, नगर निगम, मेरठ/अध्यक्षा, केन्द्रीय वित्त आयोग महोदया की अध्यक्षता में एन0आई0सी0 संभागार में दिनांक 02.06.2021 को सांय 5.00 बजे बैठक आहूत की गई। बैठक में मा0 मण्डलीय समिति के सदस्यों के अतिरिक्त नगर निगम, मेरठ के निम्न अधिकारीगण भी उपस्थित रहे:-

उपस्थिति :-

1. मा0 महापौर, नगर निगम, मेरठ/अध्यक्षा
2. जिलाधिकारी, मेरठ/सदस्य
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ/सचिव
4. उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ/सदस्य
5. अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ खण्ड/सदस्य
6. मुख्य अभियन्ता (नि0), नगर निगम, मेरठ।
7. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, नगर निगम, मेरठ।
8. महाप्रबन्धक (जल), नगर निगम, मेरठ।
9. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, मेरठ।
10. सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
11. अधिशासी अभियन्ता (नि0), नगर निगम, मेरठ।

उपरोक्त अधिकारियों की उपस्थिति में सचिव/नगर आयुक्त द्वारा मा0 महापौर की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए नगर आयुक्त/सचिव मा0 समिति द्वारा इस बैठक के विभिन्न प्रस्तावों हेतु मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, नगर निगम, मेरठ द्वारा प्रस्तुत आख्या के अनुसार 15वें/14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध अवशेष/ब्याज के सम्बन्ध में विवरण/आख्या निम्नवत् प्रस्तुत किया गया।

- मा0 समिति को अवगत कराना है कि 15वां वित्त आयोग वर्ष 2020-2021 के लिए कुल अंकन 72 करोड़ रूपये Air Quality Improvement एवं 72 करोड़ रूपये SWM/ Sanitation के लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित किया गया है, जिसके सापेक्ष Air Quality Improvement मद में प्रथम किश्त के रूप में निदेशक, नगरीय निकाय उ0 प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 8/3077/320/15वांवि0आ0/2020-21 दिनांक 10.11.2020 के द्वारा अंकन 36,00,00,000/- रूपये तथा दिनांक 04.05.2021 को पत्र संख्या 8/1334/320/15वां वि0 आ0/2021-22 द्वारा अंकन 36,00,00,000/-- रूपये कुल 72 करोड़ रूपये एवं SWM/Sanitation मद में पत्र संख्या 8/3082/ 320/15वांवि0आ0/2020-21 दिनांक 12.11.2020 के द्वारा अंकन 36,00,00,000/- रूपये तथा 31 मार्च, 2021 को 36,00,00,000/- रूपये कुल 72 करोड़ रूपये नगर निगम, मेरठ को प्राप्त हुए हैं (संलग्नक-1 एवं 2)।

Annex 4

प्रस्ताव सं0	प्रस्ताव का विवरण	क्र0 सं0	वार्ड सं0	कार्य का विवरण	आगणन जी0एस0टी0 व सेस सहित	लम्बाई (मीटर में)	औसत चौड़ाई (मीटर में)	अभियुक्ति
								प्रयोग होता है। मार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त है तथा साईड पटरी कच्ची है, साईड पटरी कच्ची होने के कारण धूल उड़ती है तथा वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण की दृष्टि से कार्य कराया जाना आवश्यक है।
		7	81	लिसाड़ी रोड पर नूरनगर चौराहे से अन्जुम पैलेस तक सड़कों पर डैन्स व साईड पटरी पर इन्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य।	18898448	1000	12.00	सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, साईड पटरी कच्ची कच्ची है। सड़क पर भारी आवागमन होने के कारण धूल उड़ती है। इसीलिये कार्य कराया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत कार्य में सड़क पर डैन्स कार्य के साथ-साथ साईड पटरी पर इन्टरलाकिंग टाईल्स कार्य प्रस्तावित है।
		8	88	वार्ड-80, 76 श्यामनगर मुख्य मार्ग पर नाज क्राकरी सेन्टर से दिलशाद गार्डन तक सड़क पर डैन्स का कार्य।	23748360	1850	7.10	सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, सड़क पर भारी आवागमन होने के कारण धूल उड़ती है। इसीलिये कार्य कराया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत कार्य में सड़क पर डैन्स कार्य प्रस्तावित है।
				योग	136169307			
3	ग्रीन बेल्ट का निर्माण वृक्षारोपण, बाड़ लगाना, बड़े सेजें के प्लांट पॉट आदि	1	37	वार्ड-37 गंगानगर के मुख्य डिवाईडर रोड पर साईड पटरी का सी0सी0 टाईल्स द्वारा निर्माण, डिवाईडर की मरम्मत एवं ग्रीन बेल्ट का निर्माण कार्य।	23807678	2225	4.00	साईड पटरी कच्ची होने एवं सड़क पर भारी आवागमन होने के कारण धूल उड़ती है। धूल के कारण वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण की दृष्टि से सड़क का सुदृढीकरण एवं साईड पटरी का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
		2	33, 63	एल-ब्लॉक तिराहे से एम0सी0सी0 हारिपटल होते हुए पी0एस0सी0 ग्राउण्ड तक 660 मी0 लम्बाई में ग्रीन बैल्ट को विकसित करने का कार्य।	9458622	660	10.00	स्थल पर पूर्व में बनी ग्रीन बैल्ट जगह-2 क्षतिग्रस्त होने के कारण धूल उड़ती है। धूल के कारण वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण की दृष्टि से सड़क का सुदृढीकरण एवं साईड पटरी का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
		3	63, 4,45	तेजगढ़ी से एल-ब्लॉक तिराहा रोड पर ई-ब्लॉक शिव मन्दिर से एल-ब्लॉक तक, 1900 मीटर लम्बाई में ग्रीन बैल्ट को विकसित करने का कार्य।	22083698	1900.00	8.00	साईड पटरी कच्ची होने एवं सड़क पर भारी आवागमन होने के कारण धूल उड़ती है। धूल के कारण वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण की दृष्टि से सड़क का सुदृढीकरण एवं साईड पटरी का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।
				योग	55349998			

Annex-4

15TH CFC/NNM

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी0एस0टी0 व सेस सहित (धनराशि लाख में)	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)
1	वार्ड 22 व 38 रोहटा रोड मुख्य मार्ग पर अमित मेन्टस से गॉडविन पब्लिक स्कूल होते हुए अपोलो गैराज तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	139.33	950	1.20
2	वार्ड 25 व 12 रोहटा रोड मुख्य मार्ग पर तेज विहार गेट नं0 1 से डैफोडिल फैक्ट्री तक आर0सी0सी0 द्वारा नाला निर्माण कार्य।	137.91	940	1.20
3	वार्ड 25 तेजगढ़ी चौराहे से रंगोली मण्डप के पुल तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	52.43		
	योग	329.87		

मा0 मण्डलीय समिति द्वारा पूर्व प्रस्ताव को संशोधित करते हुए प्रस्तावित उक्त तीन कार्यों हेतु अंकन रूपये 329.87 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

CFO 2/6/2021

नगर आयुक्त / सचिव
नगर निगम, मेरठ।

उपाध्यक्ष / सदस्य
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

अधीक्षण अभियन्ता / सदस्य
लोक निर्माण विभाग, मेरठ।

2/6

जिलाधिकारी / सदस्य,
मेरठ।

Sunita Verma

महापौर / अध्यक्ष
नगर निगम, मेरठ।